Order Sheet [Contd] Case No- 367/17 B.A.

Case No- 30//1/ B.A.		
Date of Order or	Order or proceeding with Signature of presiding	Signature of Parties or
Proceeding	A TOO	Pleaders where necessary
24.10.2017	राज्य द्वारा अपर लोक अभियोजक श्री बी०एस० वघेल।	
	आवेदक / अभियुक्त रामदास सहित श्री के.पी.राठौर अधिवक्ता	
	उपस्थित। अभियुक्त रामदास की ओर से आवेदन अंतर्गत धारा 44(2)	
	जा०फौ० प्रस्तुत करते हुए स्वयं को समर्पित किया, उक्त आवेदन विशेष सत्र प्रकरण क्रमांक 92 / 15 डकैती में संलग्न कर उसे अभिरक्षा	
	में लिया गया।	
	आवेदक / अभियुक्त रामदास की ओर से आवेदनपत्र अंतर्गत	
	धारा ४३९ जा०फौ० का शपथपत्र सहित प्रस्तुत किया गया है।	
	जमानत आवेदनपत्र पर उभयपक्ष को सुना गया।	
C	आवेदक रामदास की ओर से व्यक्त किया गय है कि वह	
(5,	नियत पेशी दिनांक को बाहर जाने के कारण न्यायालय में उपस्थित	
	नहीं हो सका था। यह भी व्यक्त किया गया कि सहअभियुक्त	
	सियाराम, करू आदि की जमानत न्यायालय द्वारा स्वीकार कर ली गई	
	है। उक्त आधारों पर जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की गई	201
	है।	
	अभियोजन की ओर से जमानत आवेदन का विरोध किया गया	
	है तथा जमानत आवेदनप्त्र निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई है।	
	उभयपक्ष को सुने जाने तथा प्रकरण का अध्ययन करने से	
	स्पष्ट है कि प्रारंभ में अभियुक्त रामदास की जमानत का आदेश इसी	
	न्यायालय द्वारा दिनांक 15.03.2013 को किया गया था। उसके बाद	
	अभियोगपत्र प्रस्तुत होने के पश्चात् अभियुक्त पेशियों पर उपस्थित	
	होता रहा है अथवा उसकी उपस्थिति जरिए अभिभाषक होती रही है। दिनांक 06.10.2017 को वह अनुपस्थित हो गया था। आज आवेदक	
	स्वयं उपस्थित हो गया है और उसने पंजाब मजदूरी करने जाना	
	बताया है। मामले की सम्पूर्ण परिस्थितियों को देखते हुए उसे जमानत	
	पर रिहा किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है तथा उसका जमानत	
	आवेदनपत्र इस शर्त के साथ स्वीकार किया गया कि उसके पूर्व	
	मुचलके राशि में से 500/- (पांच सौ रूपए) रूपए राजसात की जाती	
	है, शेष राशि माफ की जाती है। यदि उसकी ओर से 50,000/-	
	50,000 / - (पचास-पचास हजार रूपए) रूपए की दो सक्षम जमानत	
	इस न्यायालय की संतुष्टि योग्य प्रस्तुत की जाए तो उसे निम्न शर्ती	

पर जमानत पर रिहा किया जावे:-

- आवेदक विचारण न्यायालय में दी गई नियत तारीख पेशी पर उपस्थित होता रहेगा।
- अभियोजन साक्ष्य को प्रभावित नहीं करेगा और न ही साक्षियों कोई प्रलोभन उत्प्रेरण या धमकी देगा।
- 3.
- फरार नहीं होगा। विचारण में सहयोग करेगा।
- विचारण के दौरान अभियुक्त समान अपराध कारित नहीं करेगा। यदि उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन किया जाता है कि तो यह जमानत आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जावेगा।

इस आदेश की प्रति विशेष सत्र प्रकरण कमांक 92 / 15 डकैती में सलग्न की जावे।

प्रकरण का नतीजा दर्ज कर अभिलेखागार में भेजा जावे।

(मोहम्मद अजहर) विशेष न्यायाधीश डकैती गोहद All the ball जिला भिण्ड म.प्र.